रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220639
CG-DL-E-22072020-220639

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASADHA 31, 1942

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

फा. सं.-CEA-PS-11-23(21)/3/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स जाम खंभालिया ट्रांसको लिमिटेड (जे.के.टी.एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 है, ने पारेषण योजना "जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन तथा एम / एस सीजीपीएल के स्विचयार्ड में संबंधित खण्ड के साथ 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1) दिनांक 13.09.2019 के द्वारा पारेषण योजना "जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन तथा एम / एस सीजीपीएल के स्विचयार्ड में संबंधित खण्ड के साथ 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना" के अंतर्गत शिरोपरि लाईन के लिए मेसर्स एस.के.आर.पी.एल. को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन तथा एम / एस सीजीपीएल के स्विचयार्ड में संबंधित खण्ड के साथ 400/220

केवी आईसीटी की स्थापना" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

i. जाम खंभालिया पीएस तक एस्सार–लकड़िया/भचाऊ 400 केवी डी/सी (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन का विस्तार

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

अनुसूची

जिला	**तहसील**	**गाँवों के नाम**
देवभूमि द्वारका	खंभालिया	नाना मांधा, मोटा मांधा, काठी देवलिया, सोधा तारघड़ी, दाँता, वडालिया सिंहन, सरवपर, नागदा, काकाभाई सिंहन, करचिया तलाव, सिंहन आरएस, अहेर सिंहन, अंबावाड़ी, पंचवाड़ी, सुमरा, नागडा तरघड़ी, महादेविया, विदिवाला धर, हापा लखास, लंबाधर, कोटा, मांझा, विझंलपर, भाटगाम, कंडोरना, पीर लखासर, बजाना, कोलवा, नावा ताथिए, लालिया, केसोद, ताथिया, पलखारी, डोंगर, अंबारडी, देवलिया, भंडारिया, भानखोखरी, भिंडा, भरा बेरजा, मोटी खोखरी, कोटादिया, सुतारिया, सगरिया, खंभालिया
जामनगर	लालपुर	मिठोई, नाना लखिया, मोटा लखिया, रसंगपुर, मोडपुर, जशापुर, चरन टुगी, चोखंडा, जोगरा, सुपेड़ी

मेसर्स जाम खंभालिया ट्रांसको लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है । अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स जाम खंभालिया ट्रांसको लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है –

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक को "जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जाम खंबालिया पूलिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन तथा एम / एस सीजीपीएल के स्विचयार्ड में संबंधित खण्ड के साथ 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना" पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 30.11.2019 से 06.12.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मेसर्स जे.के.टी.एल. को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./125/2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2020

F. No. CEA-PS-11-23(21)/3/2020-PSPA-I Division.—Whereas M/s Jam Khambaliya Transco Limited (JKTL), the applicant with its registered office at C-105, Anand Niketan, New Delhi – 110021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Jam Khambaliya Pooling Station and Interconnection of Jam Khambaliya Pooling Station for providing connectivity to RE projects (1500 MW) in Dwarka (Gujarat) and Installation of 400/220 kV ICT along with associated bays at M/s CGPL Switchyard".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its file No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1) dated 13.09.2019 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Jam Khambaliya Transco Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme "Jam Khambaliya Pooling Station and Interconnection of Jam Khambaliya Pooling Station for providing connectivity to RE projects (1500 MW) in Dwarka (Gujarat) and Installation of 400/220 kV ICT along with associated bays at M/s CGPL Switchyard".

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Jam Khambaliya Pooling Station and Interconnection of Jam Khambaliya Pooling Station for providing connectivity to RE projects (1500 MW) in Dwarka (Gujarat) and Installation of 400/220 kV ICT along with associated bays at M/s CGPL Switchyard".

The overhead lines covered under the transmission scheme are given below:

i. Extension of Essar–Lakadia/ Bhachau 400kV D/c (triple snowbird) line upto Jam Khambhaliya PS

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

SCHEDULE

District	Tehsil	Name of Villages
Devbhumi Dwarka	khambhaliya	Nana Mandha, Mota Mandha, Kathi Devlia, Sodha Targhari, Danta, Vadalia sinhan, Sakhpar, Nagda, Kakabhai sinhan, Karchia talav, Sinhan RS, Aher Sinhan, Ambawadi, Panchwadi, Sumra targhari, Mahadeviya, Vidiwala dhar, Hapa lakhasar, lamba dhar, kota, Manjha, vinjhalpar, Bhatgam, kandorna, Pir lakhasar, Bajana, Kolva, Nava Tathie, lalia, Kesod, Tathia, Palkhari, Dongar, Ambardi, Devliya, Bhandariya, Bhankhokhri, Bhinda, Bhara Beraja, Moti Khokhri, Kotadiya, Sutaria, Sagariya, Khambhaliya
Jamnagar	Lalpur	Mithoi, Nana lakhiya, Mota lakhiya, Rasangpur, Modpur, Jashapur, Charan tungi, Chokhanda, Jogra, Supedi

M/s Jam Khambaliya Transco Limited (JKTL) had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above transmission scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Jam Khambaliya Transco Limited Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years.

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines.

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Jam Khambaliya Pooling Station and Interconnection of Jam Khambaliya Pooling Station for providing connectivity to RE projects (1500 MW) in Dwarka (Gujarat) and Installation of 400/220 kV ICT along with associated bays at M/s CGPL Switchyard". The details of the works are published in the Gazette of India dated 30th November – 06th December, 2019.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vii) M/s JKTL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P.C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./125/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.22 21:05:25 +05'30'